मुख्य परीक्षा

भारत में आग त्रासदी

संदर्भ

गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत ने गंभीर नियामक विफलताओं, अवैध संचालन और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के कमजोर प्रवर्तन को उजागर किया, जिससे भारत में रोके जा सकने वाली दुर्घटनाओं के बार-बार होने वाले पैटर्न और प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

भारत में आग त्रासदी: रुझान

- भारत में हर साल लगभग 25,000 लोग "आग और संबंधित कारणों से" मर जाते हैं। कथित तौर पर इन मौतों में लगभग 66% महिलाएं हैं।
- आग की घटनाएं आवासीय और अनौपचारिक क्षेत्र की इमारतों को असमान रूप से प्रभावित करती रहती हैं।
- कुछ राज्यों में अधिक घटनाएं: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है।

आग त्रासदियों के कारण क्या हैं -

- **नियामक गैर-अनुपालन:** अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चलने वाले कारखाने।
    - अनिवार्य अग्निशमन उपकरण और कार्यात्मक अलार्म की अनुपस्थिति।
- **त्रासदी के बाद उपेक्षा का पैटर्न:** दुर्घटना का चक्र ⟶ आक्रोश ⟶ मीडिया का ध्यान ⟶ राजनीतिक दौरा ⟶ मुआवजा ⟶ चुप्पी।
- **खतरनाक/ज्वलनशील सामग्रियों का असुरक्षित संचालन और भंडारण:** उचित भंडारण की कमी, खराब वेंटिलेशन, गर्मी या घर्षण के संपर्क में आना, खतरनाक कार्यों का अपर्याप्त पृथक्करण और असुरक्षित रासायनिक-संचालन प्रथाएं बार-बार होने वाली खामियां हैं।
    - उदाहरण के लिए, 2025 में विरुधुनगर में एक आतिशबाजी कारखाने में विस्फोट में छह श्रमिकों की मौत हो गई।
- **दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली और शॉर्ट सर्किट:** खराब वायरिंग, ओवरलोडिंग और पुरानी स्थापना अधिकांश शहरी आग का कारण बनती है।
    - उदाहरण के लिए, 2022 मुंडका (दिल्ली) कारखाने में आग — शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई; 27 मौतें।
- **कमजोर जवाबदेही:** दुर्लभ दोषसिद्धि; सुरक्षा उल्लंघनों के लिए न्यूनतम दंड।
    - सुरक्षा ऑडिट को टिक-बॉक्स अभ्यास तक कम कर दिया गया है।

ऐसी घटनाओं का प्रभाव -

- **मानवीय लागत:** परिवार के मुखियाओं की मृत्यु; परिवार सदमे और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।
    - पीड़ितों के परिवारों का सामाजिक अलगाव।
- **आर्थिक नुकसान:** संयंत्रों का बंद होना, उत्पादन में देरी और संयंत्र के बुनियादी ढांचे को नुकसान।
    - मुआवज़ा भुगतान और कानूनी खर्च।
- **प्रतिष्ठा को नुकसान:** कंपनियों और उद्योगों में विश्वास की कमी।
    - घरेलू और वैश्विक बाजारों में नकारात्मक छवि।
- **कार्यबल के मनोबल में गिरावट:** श्रमिकों में प्रेरणा की कमी और नौकरी छोड़ने की दर में वृद्धि।

भारत में अग्नि सुरक्षा विनियमन -

- **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016:** भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी NBC भारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का केंद्रीय संदर्भ है। यह भवन डिजाइन, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों, निकास मार्गों और रखरखाव के लिए मानक निर्धारित करता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों को अपने स्थानीय भवन उपनियमों में शामिल करें।
- **आदर्श भवन उपनियम, 2016:** ये उपनियम अग्नि सुरक्षा के विभिन्न उपायों को अनिवार्य बनाते हैं, जैसे अग्निरोधी निर्माण सामग्री का उपयोग, अलार्म और पहचान प्रणालियों की स्थापना, और धुएं के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन।
- **अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005:** भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करता है। राज्यों को अग्नि निवारण और प्रबंधन से संबंधित कानूनों को अद्यतन और सुसंगत बनाने के लिए इसके प्रावधानों को अपनाना और लागू करना आवश्यक है।
- **मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल, 2019:** यह राज्यों को अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत और विनियमित करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य स्तरीय अग्निशमन विभागों में परिचालन और प्रशासनिक कमियों को दूर किया जा सके।
- **राज्य अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना (2023):** 15वें वित्त आयोग की ₹5,000 करोड़ की सिफारिश के बाद शुरू की गई यह योजना, राज्यों में अग्निशमन सेवा के बुनियादी ढांचे, उपकरणों और प्रतिक्रिया क्षमता को उन्नत करने पर केंद्रित है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचने के उपाय -

- **कानूनी ढांचा मजबूत करना:** दक्षिण कोरिया/सिंगापुर की तरह जिम्मेदार अधिकारियों को आपराधिक श्रेणी में रखकर शीर्ष अधिकारियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराना।
- **अनुपालन सुनिश्चित करना:** सार्वजनिक रूप से जानकारी देने हेतु अनिवार्य तृतीय-पक्ष सुरक्षा ऑडिट।
    - सुरक्षा प्रमाणपत्रों के बिना संचालन करने पर कठोर दंड।
- **सुरक्षा को मूल मूल्य मानना:** जर्मनी/जापान की पद्धतियों से प्रेरित होकर सुरक्षा को औद्योगिक डिजाइन में एकीकृत करना।
- **श्रमिक प्रशिक्षण और समावेशन:** श्रमिकों के लिए बहुभाषी सुरक्षा प्रशिक्षण।
- **डिजिटलीकरण और पारदर्शिता:** वास्तविक समय में जोखिम रिपोर्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा डैशबोर्ड बनाना।
    - खामियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** अनुपालन मानसिकता से हटकर रोकथाम को प्राथमिकता देने वाली मानसिकता अपनाना।
    - श्रमिक सुरक्षा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक अभियान।

स्रोत: द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

संदर्भ

पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास घटक के अंतर्गत, 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में -

- **इसे 2014-15 में पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के तहत लॉन्च किया गया था।**
- **हितधारक:** व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ), आदि।
- **उद्देश्य:** पशुधन उत्पादकता में सुधार, रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करना, आहार और चारे की उपलब्धता और गुणवत्ता बढ़ाना, अनुसंधान, नवाचार, पशु स्वास्थ्य और जोखिम-प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **उप-मिशन:**
  - पशुधन और मुर्गी पालन की नस्ल विकास
  - चारा और आहार विकास
  - अनुसंधान एवं विकास, विस्तार, बीमा और नवाचार

स्रोत: पीआईबी

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना

संदर्भ

इंडिया ब्लॉक के सांसदों के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक औपचारिक पत्र सौंपकर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की मांग की है।

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में -

- एक न्यायाधीश को "साबित कदाचार या अक्षमता" के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- हालांकि संविधान में "महाभियोग" शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) और अनुच्छेद 218 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) के तहत हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में उल्लिखित प्रक्रिया

- **प्रस्ताव की शुरुआत:**
  - लोकसभा के लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, या
  - राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यकता होती है।
- **प्रवेश और समिति की जांच:** पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
  - यदि स्वीकार किया जाता है, तो तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है: एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद।
  - समिति जांच करती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- **संसदीय मतदान:** यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो प्रत्येक सदन को निष्कासन प्रस्ताव पारित करना होगा:
  - **विशेष बहुमत**: कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।
- **राष्ट्रपति का आदेश:** दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद, राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करता है।

स्रोत: द हिंदू

आदित्य L1

संदर्भ

आदित्य-L1, जो छह अमेरिकी उपग्रहों के साथ काम कर रहा है, ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की है कि मई 2024 में आए सौर तूफान (गैनन का तूफान) ने असामान्य व्यवहार क्यों किया।

आदित्य L1 के बारे में -

- **आदित्य-L1 भारत का पहला सौर वेधशाला अंतरिक्ष यान है।**
- **इसे 2 सितंबर, 2023 को PSLV-C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च** किया गया था और यह **पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) की ओर अग्रसर है।**
- **उद्देश्य**: क्रोमोस्फीयर और कोरोना सहित **सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन** करना।
- **पेलोड: अंतरिक्ष यान सात पेलोड से सुसज्जित है:**
    - VELC (विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ) – कोरोना और उसकी गतिकी का अध्ययन करता है।
    - ASPEX (आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट) – सौर पवन कणों का विश्लेषण करता है।
    - PAPA (प्लाज़्मा एनालाइज़र पैकेज फॉर आदित्य) – सौर पवन में आवेशित कणों को मापता है।
    - SoLEXS (सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर) – एक्स-रे उत्सर्जन का प्रेक्षण करता है।
    - HEL1OS (हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर) – उच्च-ऊर्जा सौर विकिरण का अध्ययन करता है।
    - MAG (मैग्नेटोमीटर) – अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्रों को मापता है।
    - SUIT (सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप) – सूर्य के प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर का अल्ट्रावायलेट (UV) तरंगदैर्घ्य में प्रेक्षण करता है।

L1 के बारे में -

- **L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच एक संतुलित गुरुत्वाकर्षण स्थान है, और यह पृथ्वी के वायुमंडल के हस्तक्षेप के बिना सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है।**
- L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में उपग्रह स्थापित करने से सूर्य का निर्बाध अवलोकन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण लाभ मिलता है, जो किसी भी प्रकार के ग्रहण या सूर्य के छिपने की अवधि से मुक्त होता है।

स्रोत: द हिंदू

इंटरपोल नोटिस

संदर्भ

सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से गोवा के नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिकों के खिलाफ ब्लू-कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जहां हाल ही में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी।

इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) -

- **मुख्यालय:** ल्योन, फ्रांस
- **सदस्य: 196 देश (भारत एक सदस्य है)**
- **उद्देश्य:** यह एक अंतर-सरकारी कानून प्रवर्तन संगठन है, जो अपने सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग का समन्वय करने में मदद करता है।

इंटरपोल नोटिस के प्रकार

नोटिस	लक्ष्य
रेड नोटिस 🔴	प्रत्यर्पण लंबित वांछित व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करना। (सबसे प्रसिद्ध)
ब्लू नोटिस 🔵	किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाने या उसकी पहचान करने के लिए, या जानकारी एकत्र करने के लिए।
ग्रीन नोटिस 🟢	किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए जब वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
येलो नोटिस 🟡	लापता व्यक्तियों, विशेष रूप से नाबालिगों का पता लगाने के लिए, या खुद को पहचानने में

इंटरपोल नोटिस के प्रकार	
	असमर्थ व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए।
ब्लैक नोटिस	अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए।
ऑरेंज नोटिस	किसी गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए।
पर्पल सूचना	अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों या छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
सिल्वर नोटिस	• विश्व स्तर पर वांछित अपराधियों की संपत्ति का पता लगाना। (पायलट चरण में जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया)। • **भारत से पहला सिल्वर नोटिस:** शौकीन शुभम (वीजा धोखाधड़ी) के खिलाफ जारी किया गया, इसके बाद अमित लखनपाल (क्रिप्टो धोखाधड़ी) के खिलाफ जारी किया गया।
इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र विशेष सूचना	संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए।

CAFE III मानदंड

संदर्भ

अमेरिका स्थित इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) और जिनेवा स्थित इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने अलग-अलग रूप से भारत से आगामी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल-एफिशिएंसी (CAFE) मानदंडों के तहत दी जाने वाली और रियायतों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

CAFE III मानदंड -

- **CAFE मानदंड किसी वाहन निर्माता के संपूर्ण बेड़े की ईंधन दक्षता और CO_2 उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं।**
- BS मानदंडों (जो विषाक्त प्रदूषकों को लक्षित करते हैं) के विपरीत, CAFE मानदंडों का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
- CAFE के अंतर्गत, निर्माता द्वारा बेचे गए सभी वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर औसत CO_2 उत्सर्जन निर्धारित सीमा के भीतर रहना चाहिए।
- **पहले के चरण:**
  - **CAFE I (2017):** प्रारंभिक ईंधन दक्षता लक्ष्य।
  - **CAFE II (2022):** यात्री कारों के लिए CO_2 उत्सर्जन 113 ग्राम/किमी तक सीमित है।
- CAFE III सीमाओं को और कड़ा कर देगा, निर्माताओं को अधिक कुशल इंजन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए मजबूर करेगा।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज (GNLC)

संदर्भ

यूनेस्को ने सऊदी अरब के तीन और शहरों - रियाद, अल-उला और रियाद अल-खबरा - को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज (GNLC) में शामिल किया है।

यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज (GNLC) के बारे में -

- यह शहरों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो **सतत विकास** के एक चालक के रूप में **आजीवन सीखने** (lifelong learning) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यूनेस्को के इंस्टीट्यूट फॉर लाइफलॉन्ग लर्निंग (UIL) द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसमें 91 देशों के 425 शहर शामिल हैं।
- **एक सीखने वाले शहर की मुख्य विशेषताएं:**

- स्कूलों और व्यावसायिक प्रणालियों में समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- सभी नागरिकों के लिए आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करता है।
- डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देता है।
- सामुदायिक शिक्षण केंद्रों, पुस्तकालयों और खुले शिक्षण स्थानों को प्रोत्साहित करता है।
- हरित शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा का समर्थन करता है।
- स्थानीय शिक्षा नीतियों को मजबूत करने के लिए डेटा का उपयोग करता है।

- **भारत में तीन GNLC शहर हैं:** वारंगल (तेलंगाना), त्रिशूर (केरल), नीलांबुर (केरल)

स्रोत: टीओआई

समाचार में स्थान

चेक गणराज्य

समाचार? प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महामहिम आंद्रेज बाबिस को चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी।

चेक गणराज्य के बारे में -

- **राजधानी:** प्राग
- **अवस्थिति**: मध्य यूरोप; चारों ओर से भू-आबद्ध।
- **सीमाएं:** जर्मनी (पश्चिम), पोलैंड (उत्तर), स्लोवाकिया (पूर्व), ऑस्ट्रिया (दक्षिण)।
- **भूगोल:**
  - ऐतिहासिक रूप से बोहेमिया, मोराविया और सिलेसिया के हिस्से से बना है।
  - **भूभाग:** अधिकतर पहाड़ियाँ और पठार, जो सुडेट्स और कार्पेथियन जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं।
  - **प्रमुख नदी:** वल्तावा (प्राग से होकर बहती है)।
  - **जलवायु:** समशीतोष्ण महाद्वीपीय।
- **सदस्यता:**
  - **यूरोपीय संघ**: 2004 से
  - **नाटो**: 1999 से

स्रोत: पीआईबी

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: (2023)

1. बुल्गारिया
2. हंगरी
3. लातविया
4. चेक गणराज्य
5. लिथुआनिया
6. रोमानिया

ऊपर बताए गए देशों में से कितने देश यूक्रेन के साथ ज़मीनी सीमा साझा करते हैं?

(a) केवल दो
(b) केवल तीन
(c) केवल चार
(d) केवल पाँच

उत्तर: (a)